युवा रिपोर्ट

राष्ट्रीय परामर्श की रिपोर्ट

2015

के बाद विकास ढांचा

भारत

UNITED NATIONS
संयुक्त राष्ट्र

यूनाइटेड नेशन्स रेज़िडेण्ट कोऑर्डिनेटर्स ऑफ़िस

इस रिपोर्ट में शामिल विश्लेषण और सिफ़ारिशें अनिवार्य रूप से यूनाइटेड नेशन्स के आधिकारिक विचारों को प्रतिबिम्बित नहीं करतीं। लिखित सामग्री का उपयोग स्त्रोत का समुचित उल्लेख करते हुए किया जा सकता है। चित्रों के कॉपीराइट सुरक्षित हैं।

आवरण चित्रः यूएन विमैन/अनिन्दित रॉय–चौधुरी

राष्ट्रीय परामर्श की रिपोर्ट

UNITED NATIONS
संयुक्त राष्ट्र

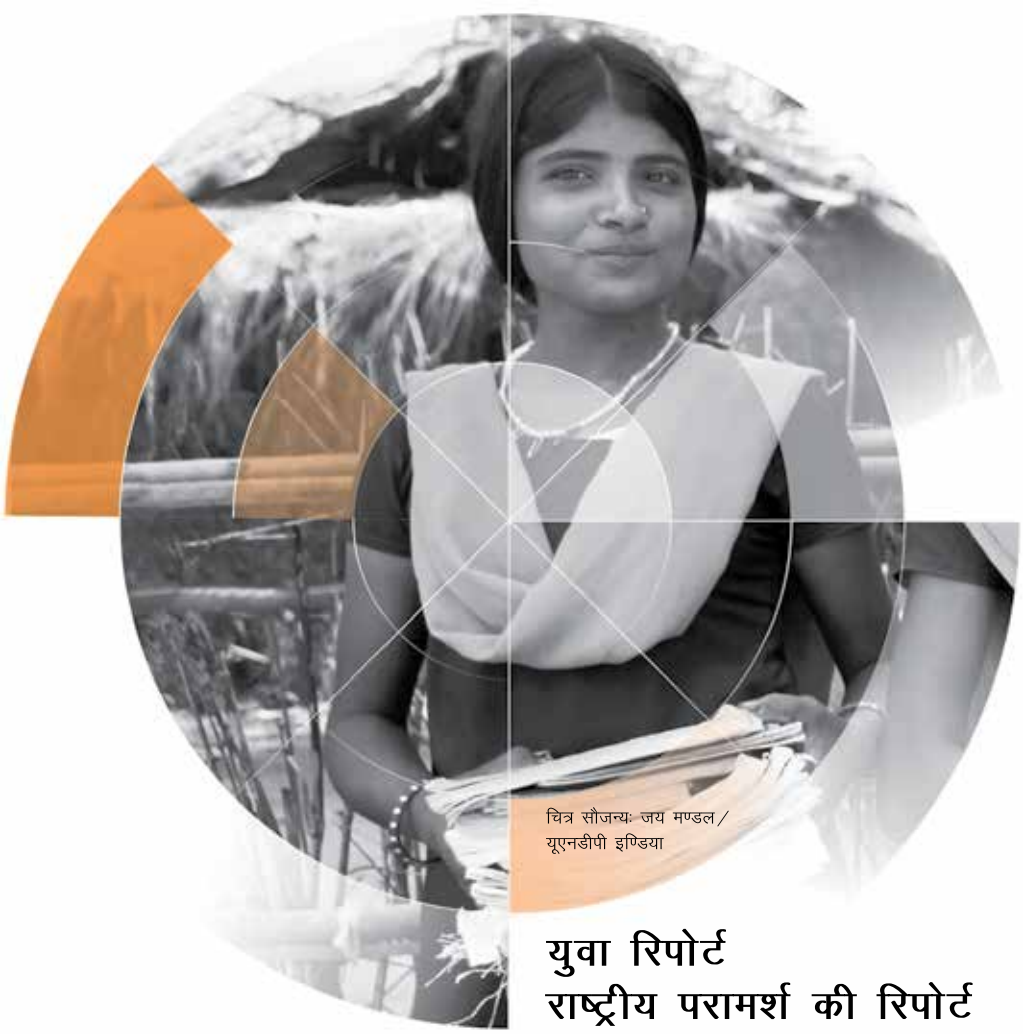

चित्र सौजन्यः जय मण्डल/
यूएनडीपी इण्डिया

युवा रिपोर्ट
राष्ट्रीय परामर्श की रिपोर्ट
2015
के बाद विकास ढांचा
भारत

राष्ट्रीय परामर्श रिपोर्ट 2015–के–बाद विकास ढांचाः भारत सितम्बर 2012 से फ़रवरी 2013 के बीच, 2015–के–बाद विकास ढांचे पर वैश्विक चर्चाओं के हिस्से के तौर पर भारत भर में हुए परामर्शों का सार है। परामर्शों का नेतृत्व सरकार, ट्रेड यूनियनों, स्त्री संगठनों, किसान संगठनों, शोध संस्थाओं, नागरिक समाज और युवा संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले राष्ट्रीय संयोजकों ने किया। यह रिपोर्ट युवा क्षेत्र से प्राप्त निश्कर्षों का संक्षिप्त रूप प्रस्तुत कर रही है। पूरी रिपोर्ट देखें: www.in.one.un.org

युवा रिपोर्ट

राष्ट्रीय परामर्श की रिपोर्ट

2015 के बाद विकास ढांचाः भारत

जोश, प्रवाह, रैस्टलैस डेवलपमैण्ट और द वाईपी फाउण्डेशन द्वारा संयोजित

जोश : जोश का गठन 2006 में, सूचना का अधिकार (राइट टु इन्फ़ॉर्मेशन) अभियान के हिस्से के तौर पर हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को पारदर्शिता और जवाबदेही के प्रश्नों से जोड़ना है और यह विशेषरूप से शिक्षा और अभिशासन पर केन्द्रित है। जोश कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ ही शहरी गरीब युवाओं के साथ मिल कर शिक्षा को अधिकार के रूप में देखते हुए काम करता है। युवा लोगों के साथ ही यह कार्यक्रम पूरे समुदाय को भी जोड़ता है ताकि लोग अपने अधिकारों पर दावा करने में समर्थ हो पाएं। वेबसाइटः http://josh4india.org

प्रवाह : 1993 में शुरू हुए इस संगठन की कल्पना युवाओं के माध्यम से सामाजिक बदलाव के लिए नेतृत्व का निर्माण करना है। संगठन ने देशभर में दूसरे संगठनों और युवाओं के साथ कार्यक्रमों की एक बड़ी श्रृंखला का अभिकल्पन और क्रियान्वयन किया है। प्रवाह के हस्तक्षेपों से युवाओं को अपने विकास में निवेश करते हुए सामाजिक बदलाव की अगुवाई करने में मदद मिली है। संगठन और उसके सहयोगी युवाओं के विकास और नागरिकों के पक्ष में कार्यवाही का पक्षनिर्माण कर रहे है। वेबसाइटः http://www.pravah.org

रैस्टलैस डेवलपमैण्ट : ब्रिटेन स्थित इसी नाम के संगठन की यह भारतीय शाखा युवाओं को एकजुट करने और सामर्थ्यसम्पन्न बनाने के काम को समर्पित है। रैस्टलैस डेवलपमैण्ट यौन प्रजनन स्वास्थ्य, आजीविकाओं और नागरिक भागीदारी के प्रश्नों पर काम करती है। 2012 तक यह संगठन चार भारतीय राज्यों में 90,000 युवाओं से जुड़ा है। वेबसाइटः http://www.restlessdevelopment.org/india

द वाईपी फाउण्डेशन : 2002 में स्थापित द वाईपी फाउण्डेशन युवाओं द्वारा संचालित है। यह युवाओं को

जैण्डर, यौनिकता, स्वास्थ्य और अधिकारों, शिक्षा, डिजिटल मीडिया, कलाओं और अभिशासन के क्षेत्र में कार्यक्रम तैयार करने और नीतियों को प्रभावित करने में सक्षम बनाने की दिशा में काम करता है। संगठन नेतृत्व का निर्माण करके और युवाओं द्वारा शुरू की गई पहलों को मजबूत बना कर युवाओं की मानवाधिकारों को प्रोत्साहन देता है, उन्हें सुरक्षित रखता है और बढ़ावा देता है। संगठन भारत के 18 राज्यों में 200 से अधिक परियोजनाएं चला चुका है और अपनी स्थापना के बाद से 3,00,000 युवाओं के सम्पर्क में है। वेबसाइटः http://www.theypfoundation.org

परामर्श की प्रक्रिया और कार्यविधि

युवाओं के लिए संयोजन समिति के तौर पर जोश, प्रवाह, रेस्टलैस डेवलपमैण्ट और द वाईपी फाउण्डेशन ने फ़रवरी 2013 में, पांच क्षेत्रीय परामर्शों का आयोजन किया। इन क्षेत्रीय परामर्शों में भारतभर के 100 से अधिक युवा संगठनों के 284 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रवाह ने कम्यूनिटी–द यूथ कलैक्टिव, बॉस्को इन्स्टिट्यूट और पतंग के सहयोग से पूर्वोत्तर और पूर्व क्षेत्रों में परामर्श संयोजित किए, जोश ने पश्चिम क्षेत्र में, द वाईपी फाउण्डेशन ने उत्तरी क्षेत्र और रैस्टलैस डेवलपमैण्ट ने दक्षिणी क्षेत्र में। क्षेत्रीय परामर्शों की अनुशंसाओं के आधार पर युवा संयोजन समिति ने राष्ट्रीय रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में क्षेत्रीय संवादों में हुए महत्त्वपूर्ण विषयों को भी शामिल किया गया। परामर्श की प्रक्रिया में यूनाइटेड नेशन्स पॉपुलेशन फ़ण्ड (UNFPA) और यूनाइटेड नेशन्स चिल्ड्रन्स फ़ण्ड (UNICEF) ने सहायता की। रिपोर्ट को ऑनलाइन पढ़ें : http://www.worldwewant2015.org/node/301679

चार सहयोगी गैर–सरकारी संगठनों ने 23 राज्यों और 1 केन्द्र–शासित प्रदेश के युवा संगठनों के साथ क्षेत्रीय परामर्श किए।

बैठकों में परामर्श, समूह चर्चाएं और आमसभाएं शामिल थीं।

हर क्षेत्रीय परामर्श तीन दिन चला। युवाओं के प्रश्नों और सरोकारों को उनकी सम्पूर्णता में देखा गया इसलिए आत्म–चिन्तन और निजी अनुभवों का साझा किया जाना क्षेत्रीय परामर्शों की प्रमुख प्रक्रियाएं बनीं। इससे प्रतिभागी खुलकर अपने विचार बता पाए। पांचों क्षेत्रीय परामर्शों में छोटे समूहों में परामर्श के साथ ही आम–सत्र में चर्चाएं और प्रस्तुतियां हुईं ताकि संस्तुतियां सहमति और सामूहिक राय के आधार पर तैयार हो पाएं। हर समूह ने संस्तुतियों के लिए नीतियां और सफलता के पैमाने भी तैयार किए।

सत्रों में जिन प्रश्नों पर चर्चा हुई वे मोटे तौर पर निम्नांकित श्रेणियों में आते हैं:

- नीति में बदलाव
- सरोकार के क्षेत्र और प्रमुख कार्य
- प्रस्तावित लक्ष्यों के संकेतक और उन की समयसीमा
- सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों का प्रदर्शन
- वैश्विक प्रवृत्तियां
- भारत के भावी विकास की कल्पनाएं
- बाधाएं और चुनौतियां
- जैण्डर और लड़कियां
- असमानता
- गरीबी
- जनसंख्या सम्बन्धी प्रश्न
- 2015 के बाद के लिए ढांचा
- अभिशासन की कमियां
- युवाओं की ज़रूरतें
- शरण/सुरक्षा

परामर्शों की प्रक्रिया में जिन विषयों पर चर्चा हुई वे मोटे तौर पर निम्नांकित श्रेणियों में आते हैं:

- शिक्षा
- स्वास्थ्य
- वृद्धि और आजीविका
- पर्यावरण
- युवा
- शान्ति
- गरीबी
- अभिशासन
- सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य
- सूचना
- सेवाएं
- हिफ़ाज़त और सुरक्षा
- प्रवास और विस्थापन
- न्याय

गैर–सरकारी संगठन का नामः जोश

चर्चा के लिए समूहित प्रश्न

शिक्षा

- प्राथमिक शिक्षा
- व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण
- उच्च शिक्षा
- पहुंच के सरोकार–शिक्षा कर्ज़ आदि
- शिक्षा के अधिशासन के प्रश्नों में युवाओं की भागीदारी
- पाठ्यक्रम का फिर से अभिकल्पन – परम्परागत ज्ञान और आजीविका से प्रभावी जुड़ाव, स्वास्थ्य–पर्यावरण और अभिशासन से जुड़े सरोकारों को समाहित करना

स्वास्थ्य

- सार्वजनिक और प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणाली
- प्रजनन स्वास्थ्य सेवा/परिचर्या
- पोषण का महत्व
- व्यवसायगत खतरों के लिए विशेष प्रावधान
- स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े सरोकारों से प्रभावी जुड़ाव
- अभिशासन
- युवाओं की भागीदारी और जुड़ाव
- व्यापक युवा नीति
- पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए उपाय
- विकेन्द्रीकरण

वृद्धि और आजीविका

- युवाओं के लिए व्यापक नीति के तौर पर स्वयंसेविता को प्रोत्साहन
- जीवनोपयोगी कौशलों का प्रशिक्षण और शिक्षा के साथ प्रभावी जुड़ाव
- उत्प्रवास से जुड़े प्रश्न और सरोकार
- युवाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा और सुरक्षा व्यवस्था
- परम्परागत ज्ञान और स्थानीय बाज़ार का रोज़गार और आजीविका से जुड़ाव
- उद्यमियों को प्रोत्साहन

पर्यावरण

- धारणीय विकास
- पर्यावरण के धारणीय प्रचलनों के ज्ञान और शिक्षा के बीच जुड़ाव

गैर–सरकारी संगठन का नामः प्रवाह

चर्चा के लिए समूहित प्रश्न

युवा

- पहचान रचने और अनूठा होने की ज़रूरत
- अपनी राय बताने/अभिशासन में सुने जाने के लिए मंच
- जीवन के बारे में फ़ैसले लेने, करियर का चुनाव करने के अवसर और उन से परिचय
- युवा–केन्द्रित समावेशी अभिशासन
- यौन शिक्षा
- मार्गदर्शन, परामर्श, व्यावहारिक जीवन में आचरण के कौशल
- स्वीकार्यता की ज़रूरत
- सुरक्षा और सम्मान
- जन–जागरूकता

शिक्षा

- शिक्षा तक पहुंच
- लोगों की पहुंच और बूते के अन्दर और पहुंच के भीतर शिक्षा
- आजीविका/रोज़गार/जीवन के लिए तैयार करने वाली शिक्षा
- विद्यालयों में अध्यापकों का न होना
- पाठ्यचर्या में नैतिक मूल्य समाहित करना
- विद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्रवृत्तियों की सुविधाएं

स्वास्थ्य

- मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं सहित सभी स्वास्थ्य समस्याओं के लिए बुरी चिकित्सा सुविधाएं
- मलेरिया और एच आइ वी

- स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच
- मातृ–स्वास्थ्य
- गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य परिचर्या तक पहुंच
- स्वास्थ्य सुविधाओं का सुचारू संचालन सुनिश्चित करना

शान्ति

- लोगों को उग्रवाद/आतंकवाद से जुड़ने के लिए मजबूर किया जाना
- नक्सली/आतंकी जबरन वसूली और हिंसा
- युवाओं के जीवन और दुनिया के बारे में उनके दृष्टिकोण पर प्रभाव
- दैनिक जीवन को प्रभावित कर रहा विभिन्न व्यवस्थाओं पर राजनीति का प्रभाव
- हर व्यक्ति के अधिकारों और समानता की स्वीकार्यता

जैण्डर

- भेदभाव
- लिंग के आधार पर भेदभाव
- समाज में जैण्डर के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित करने में मीडिया की भूमिका
- आने–जाने पर पाबन्दियां (खासतौर पर मुस्लिम समाज की लड़कियों पर)
- बाल–विवाह
- जाति, जनजाति के आधार पर भेदभाव/असुविधा
- विवाह के मसले पर चुनाव की सम्भावना का न होना – परिवार, समाज का दबाव
- मानव तस्करी
- फ़ैसला लेने की प्रक्रिया में स्त्रियों और लड़कियों को शामिल करना
- आवाजाही की स्वतन्त्रता
- सोच बदलना

गरीबी और भूख

- हिंसा
- शराब की लत
- रोटी, कपड़ा, मकान – मूलभूत ज़रूरतें
- भूमि अधिग्रहण के कारण ग्रामीणों का विस्थापन
- किसानों द्वारा आत्महत्याएं
- भूमि अधिग्रहण
- शहरी क्षेत्रों की ओर गमन
- पानी, ईंधन, जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच न होना
- सभी के लिए नौकरी की गारण्टी
- शराब और नशीली दवाओं के सेवन की लत रोकने के लिए जागरूकता

पर्यावरण

- जंगलों का कटना
- पीने के सुरक्षित पानी का न होना
- स्वच्छता का अभाव
- पर्यावरणीय प्रश्नों पर अभियान और जनजागरूकता बढ़ाना

अभिशासन

- बेहतर अभिशासन की ज़रूरत
- गांवों में पंचायत स्तर पर लोगों/युवाओं की राय न लिए जाना
- स्त्रियों के विरूद्ध हिंसा की रोकथाम सम्बन्धी प्रभावी कानून का प्रभावी क्रियान्वयन
- भ्रष्टाचारमुक्त संसार
- न्याय की त्वरित और न्यायपूर्ण व्यवस्था

समानता

- समान वितरण और योजनाओं तक समान पहुंच
- शिक्षा के माध्यम से विविधता की कद्र सीखना
- भेदभाव के विरूद्ध कड़े कानून

रोज़गार

- कौशल और व्यक्तित्व विकास के लिए प्रशिक्षण केन्द्र
- उद्यमिता को प्रोत्साहन
- कौशल तकनीकी शिक्षा
- करियर सम्बन्धी मार्गदर्शन

जनसंख्या

- परिवार नियोजन

गैर–सरकारी संगठन का नामः रैस्टलैस डेवलपमैण्ट

चर्चा के लिए समूहित प्रश्नः

- फ़ैसले लेने की प्रक्रिया में युवाओं को शामिल न किया जाना
- मौजूदा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक माहौल में मानवाधिकारों की कद्र न होना
- मौजूदा सामाजिक ढांचा जाति, वर्ग और जैण्डर पर आधारित असमानताओं को मज़बूत कर रहा है
- व्यवस्था का भ्रष्टाचार, लालफीताशाही और जवाबदेही की कमी के कारण अभिशासन सम्बन्धी समस्याएं पैदा हो रही हैं
- भारत जैसे कृषिप्रधान देश में खेती जीवनक्षम विकल्प/पूरी आजीविका दे पाने वाला काम नहीं रह गया है
- जनसंख्या–वृद्धि, खेती की ज़मीन का इस्तेमाल आवासीय और दूसरी निर्माण योजनाओं के लिए होने के कारण खेती की ज़मीन का रकबा कम होता जा रहा है
- पीने के पानी जैसे प्राकृतिक संसाधनों के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ रही है
- सकुशल रहने और स्वच्छता के बारे में जागरूकता की कमी
- खेती और खाद्य–प्रसंस्करण में रसायनों का बढ़ता उपयोग
- सीमित संसाधनों के बरक्स बढ़ती जनसंख्या
- शासन व्यवस्था में विकास योजनाओं की मॉनिटरिंग और उनके कार्यान्वयन की दोषमुक्त प्रणाली नहीं है
- सत्तावान और सत्ताविहीन लोगों के बीच संसाधनों का असमान बंटवारा

गैर–सरकारी संगठन का नामः द वाइ पी फ़ाउण्डेशन

चर्चा के लिए समूहित प्रश्नः

- सहस्त्राब्दि विकास ढांचे को, इस की प्रगति को और 2015–के–बाद की विकास प्रक्रिया को समझना।
- नौ विषय क्षेत्रों के सन्दर्भ में युवाओं के सूचना (सूचना की उपलब्धता, सूचना के स्त्रोत, सूचना तक पहुंच और उस की गुणवत्ता) स्तरों का मानचित्र बनाना।
- सूचना और सेवाएं – नौ विषय क्षेत्रों के सन्दर्भ में युवाओं की ज़रूरतों को परिभाषित करना।
- युवाओं के वातावरण/सन्दर्भ का मानचित्र बनाना – शिक्षा, आजीविका, अवसरों, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा (संघर्ष और उत्प्रवास) तक पहुंच सुनिश्चित करने में वातावरण में मौजूद समर्थकारी और बाधक तत्वों का विश्लेषण।
- युवाओं द्वारा उपलब्ध सेवाओं का अनुभव के आधार पर विश्लेषण।
- असमानताओं के ढांचे के अन्दर महत्वपूर्ण खाइयों की पहचान – पता लगाना कि कौन से प्रश्न और कौन लोग विकास की मौजूदा प्रक्रिया के बाहर रह गए हैं, और भावी विकास एजेण्डा के लिए अपनी आकांक्षाओं और स्वप्नों को व्यक्त करने में युवाओं की मदद करना।
- अभिशासन – युवाओं की भागीदारी और अभिशासन।
- अपने लिए हमारे स्वप्नों को व्यक्त करना, 2015 के बाद के भारत में युवा खुद को कैसे देखा जाना चाहते हैं? भूमिकाएं और ज़िम्मेदारियां।
- साझा सहमति तैयार करना – 2015 के बाद के भारत के लिए महत्वपूर्ण कार्य और संकेतक।

सन्दर्भ

भारत में 10–24 वर्ष के आयुवर्ग के लगभग 35.8 करोड़ लोग हैं (2011 की जनसंख्या के आंकड़े) जो देश की जनसंख्या का कुल 31 प्रतिशत हैं। जनसंख्या का यह वर्ग सामाजिक–आर्थिक क्षेत्रों में भारत के भविष्य को

निरूपित करता है। इसके अलावा बहुत हद तक इसी वर्ग का अनुभव यह तय करेगा कि देश अपनी युवाबहुल जनसंख्या का कितना लाभ उठा पाएगा और सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों और 2015 में लागू होने वाले विकास ढांचे की अपेक्षाओं पर कितना खरा उतरेगा। (2020 तक भारत विश्व का सब से युवा देश होगा जहां के वासियों की औसत आयु 29 वर्ष होगी। स्रोतः http://www.youthportal.gov.in/statistics/demographicdetails.htm)

युवाबहुल जनसंख्या के आसन्न लाभ और बदलते सत्ता समीकरणों के कारण विश्व–मंच पर भी भारत की बात महत्वपूर्ण मानी जाने लगी है। इसलिए यह युवा जनसंख्या देश पर ही नहीं, कई तरह से, संसार पर भी प्रभाव डालेगी। युवाओं को सकल घरेलू उत्पादन बढ़ानेवाले बढ़ते कार्यबल के रूप में देखने का दृष्टिकोण निकटदृष्टि दोष से पीड़ित है–यह बढ़ती बेरोज़गारी की विडम्बना को नहीं देख पाता। सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों ने युवाओं के कुछ खास वर्गों पर उन से जुड़े महत्वपूर्ण लेकिन सीमित प्रश्नों पर ही ध्यान खींच कर नकारात्मक भूमिका ही निभाई। इस का नतीजा यह है कि युवाओं को केवल स्वास्थ्य या शिक्षा के अन्तर्गत आने वाली योजनाओं के लाभार्थियों के रूप में देखा जा रहा है।

हमारे हर परामर्श में जिस एक बिन्दु पर स्पष्ट सहमति सामने आई वह था – युवाओं की बात नहीं सुनी जाती। बराबर के साझेदारों, हितधारकों और निर्णयकर्ताओं के रूप में उन्हें सम्मान देना तो दूर, उन्हें इस रूप में देखा, समझा तक नहीं जाता। बराबर के साझेदारों, हितधारकों और निर्णयकर्ताओं के रूप में सम्मान पाने, देखे और समझे जाने की युवाओं की इस अपेक्षा को 'वयस्क' अक्सर यह कहते हुए दरकिनार कर देते हैं कि युवाओं में समझदारी से फ़ैसले लेने और सबकुछ जान–समझ कर विकल्प चुनने का कौशल और योग्यता नहीं हैं। लेकिन आत्म–चेतना, मूल्य–आधारित नेतृत्व कौशल, संवाद का कौशल, लोगों को प्रेरित और प्रभावित करने और सबकुछ जान–समझ कर विकल्प चुनने का कौशल, असफलता से पार पाने का कौशल, जीवन से सीखने का कौशल, वास्तविक सम्बन्ध और सहायता व्यवस्थाएं रचने का कौशल, मोलतोल करने का कौशल, संघर्ष के समाधान का कौशल आदि जैसे संगत कौशल सीखकर युवाओं को सामर्थ्यसम्पन्न बनने देना सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक स्तर पर अवसर और सुरक्षित जगहें उपलब्ध करवाने के प्रयास भी नहीं दिख रहे। गलतियां करने के अवसर न हों तो युवा कैसे सीख पाएंगे? वे आज और कल के बदलाव लानेवाले अग्रणी कैसे बन पाएंगे?

पिछली पीढ़ियों की तुलना में, इण्टरनैट–फ़ेसबुक–ट्विट्टर के इस युग में युवा लोग संसार से कहीं ज़्यादा जुड़े हैं। वे जिसे संसार में तेजी से बढ़ रहे हैं वह बहुत ही तेजी से बदल रहा है और उस की विशिष्टता बढ़ते संघर्ष हैं–राजनीतिक से लेकर पर्यावरणी तक। यथास्थिति को ले कर राष्ट्रीय और वैश्विक स्तरों पर हताशा की भावना बढ़ रही है।

हमारी दुनिया का सौभाग्य है कि युवा लोग अपने सामने खड़ी चुनौतियों को अलग ढंग से देखते हैं और उत्साह और कल्पनाशील ढंग से इन पर अनुक्रिया कर रहे हैं। खासतौर पर सब से कम विकसित देशों में, युवा लोगों में अपने समुदायों की आर्थिक–सामाजिक–राजनीतिक स्थितियां पूरी तरह बदल देने की सम्भावना निहित है। उन में सही निवेश किया जाए तो वे व्यक्तियों, अगुवाओं और प्रगति के कारकों के रूप में अपनी पूरी सम्भावनाएं प्राप्त कर सकते हैं। हमारे संसार को उन की ऊर्जा, प्रक्रियाओं में भागीदारी और कौशलों की ज़रूरत है। लेकिन इस तरह के बदलाव ला पाने के लिए युवाओं के नेतृत्व के विकास, उद्यमिता और आजीविकाओं, शान्ति और मानवाधिकारों, शिक्षा, स्वास्थ्य, यौन और प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारों, धारणीय विकास और प्रक्रियाओं से नागरिकों के वास्तविक जुड़ाव के लिए प्रतिबद्धता के लिए सामूहिक कार्यवाही की ज़रूरत होगी।

विभिन्न युवा परामर्शों में यह सहमति निकल कर आई कि *'हम जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है, हम तय करना चाहते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है'*। यह बताती है कि युवा योजना–निर्माण से लेकर कार्यान्वयन तक, फ़ैसले लेने की प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा बनना चाहते हैं।

इसलिए युवाओं में निवेश की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे अगुवाओं, फैसले लेने वालों और प्रगति के कारकों के रूप में अपनी पूरी सम्भावनाएं प्राप्त कर सकते हैं।

इसी सन्दर्भ में एक और ज़रूरी काम है फ़ैसले लेने की प्रक्रिया में, हर स्तर पर, बराबरी के हिस्सेदारों के तौर पर युवाओं की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित किया जाना।

युवा महत्वपूर्ण हैं और असमांगता को पूरा सम्मान देते हुए, एक समूह के तौर पर उन पर ध्यान केन्द्रित किए जाने की ज़रूरत है।

जोश, प्रवाह, रैस्टलैस डेवलपमैण्ट और द वाईपी फाउण्डेशन ने पांच परामर्शों के माध्यम से 23 राज्यों और एक केन्द्रशासित प्रदेश में युवाओं से सम्पर्क किया। इस प्रक्रिया में स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय सन्दर्भों में युवा लोगों से जुड़ने के हमारे सामूहिक अनुभव उपयोगी सिद्ध हुए।

2015–के–बाद के ढांचे के लिए हमारी संस्तुतियां आगे प्रस्तुत हैं।

परिवीक्षण

कई समूहों में प्रतिभागियों ने दो विषयों – खाद्य सुरक्षा और जनसंख्या सम्बन्धी प्रश्नों और असमानता – पर या तो चर्चा की ही नहीं या काफ़ी कम की। ऐसा होने के कई सम्भावित कारण हैं:

- विषय पर विशेषज्ञता न होना
- विषयों के अर्थ या सन्दर्भ को न समझ पाना
- सीमित क्षमता या समय, या दोनों ही

इन संस्तुतियों को पढ़ते हुए यह भी ध्यान में रखा जाना महत्वपूर्ण है कि किसी विषय पर अधिक सुझावों या संकेतकों की लम्बी सूची का होना, या उस पर अधिक समय लगाए जाने से वह विषय अधिक प्राथमिकता वाला या महत्वपूर्ण नहीं हो जाता। इस तरह की अनन्तिम चर्चाओं पर कई बातों का प्रभाव पड़ सकता है – हाल की खबर का क्षेत्रीय सन्दर्भ या समूह को सब से ज़्यादा याद रही मीडिया रिपोर्ट, कोई एक व्यक्ति या कुछ लोगों का अधिक बोलना और चर्चा को एक खास राह पर ले जाना, या सत्र की शुरूआत में किन्हीं विषयों पर अधिक विस्तार से समय लगाना। इस के अलावा सत्र की शुरूआत और अन्त में प्रतिभागियों के ऊर्जा–स्तर में सहज अन्तर भी किसी विषय पर लगाए गए समय पर असर डालता है।

इन बिन्दुओं को भी ध्यान में रखें:

- इस बात का खास ध्यान रखा गया कि सभी बिन्दुओं पर चर्चा हो, इसलिए विचारों के मायने में कुछ दोहराव की गुंजायश छोड़ी गई है।
- जिन पैमानों से जुड़े कोई प्रश्न, सरोकार, सुझाव और संस्तुतियां नहीं हैं उन्हें छोड़ दिया गया है।
- टिप्पणियां हू–ब–हू वैसे ही प्रस्तुत हैं जैसी गैर–सरकारी संगठनों ने अपनी–अपनी संस्तुति रिपोर्टों में भेजी हैं।

निश्कर्ष

परामर्श की प्रक्रिया के मूल्यांकन के दौरान निम्नलिखित बिन्दु परिवीक्षित किए गए:

1. प्रक्रिया के मायनों में, गैर–सरकारी संगठन भागीदारों ने मार्गदर्शन और विश्लेषण के सन्दर्भ में निर्देशों का पालन किया।
2. गैर–सरकारी संगठनों को संस्तुतियां तैयार करते हुए, ढांचे से परे जाने की छूट से परामर्श को लाभ हुआ। हम नहीं जानते कि यह सोच–समझ कर किया गया या नहीं, लेकिन इस से नए विषयों और पैमानों के मायनों में ढांचे के नए आयाम सामने लाने में मदद मिली।

लक्ष्य

1. फ़ैसले लेने की प्रक्रिया में, हर स्तर पर, बराबरी के हिस्सेदारों के तौर पर युवाओं की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित किया जाना

2. युवाओं में निवेश ताकि उन का कल के अगुवाओं, फैसले लेने वालों और प्रगति के कारकों के रूप में अपनी पूरी सम्भावनाएं प्राप्त कर लेना सुनिश्चित हो सके

संस्तुतियां

ऊपर बताए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हम लिम्नलिखित संस्तुतियां प्रस्तावित कर रहे हैंः

1. समतापूर्ण वृद्धि, आजीविकाएं और उद्यमिता सुनिश्चित करने के लिए युवाओं के व्यवसाय और जीवन कौशल विकास और सन्दर्भ के अनुसार अवसरों में निवेश किया जाए
2. युवाओं के साथ और उन के लिए, जवाबदेह और अनुक्रियाशील अभिशासन सुनिश्चित किया जाए
3. संघर्ष वाले और संकटप्रवण क्षेत्रों में युवाओं को शान्ति–स्थापना की प्रक्रिया में बराबरी का हिस्सेदार बनने के लिए सामर्थ्यसम्पन्न बनाया जाए, इस काम में जोड़ा जाए और उन के मानवाधिकारों को बनाए रखा जाए
4. स्कूलों में पढ़ रहे और स्कूलों से बाहर मौजूद किशोरों और युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए व्यापक, संगत और समावेशी शिक्षा तक सब की पहुंच सुनिश्चित की जाए
5. व्यापक, युवाओं के लिए उपयोगी और उन्हें समझ में आनेवाली सूचना, सेवाओं और सभी युवाओं के सर्वांगीण स्वास्थ्य, स्वस्ति और अधिकार सुनिश्चित करने वाले सहायता समूहों तक पहुंच
6. जैण्डर (तीसरे लिंग सहित), जाति, वर्ग, धर्म और विकलांगता पर आधारित कलंक की भावना, हिंसा, भेदभाव और असमानताओं का खात्मा
7. कृषि, उत्पादन और निर्माण में देशी पर्यावरण–सहज प्रचलनों पर शोध करके, उन्हें प्रोत्साहन और सुरक्षा देकर पर्यावरण के स्तर पर धारणीय प्रचलनों को प्रोत्साहन और उन का कार्यान्वयन

निम्नांकित सारणी में हर संस्तुति के लिए रणनीतियां और संकेतक निर्दिष्ट किए गए हैंः

संस्तुतियां	कमियां	रणनीतियां	संकेतक
1. समतापूर्ण वृद्धि, आजीविकाएं और उद्यमिता सुनिश्चित करने के लिए युवाओं के व्यवसाय और जीवन कौशल विकास और सन्दर्भ के अनुसार अवसरों में निवेश **"मैं प्रशिक्षित अध्यापक हूं लेकिन नौकरियां उपलब्ध नहीं हैं। भ्रष्टाचार के चलते कम योग्य लोग नौकरी कर रहे हैं।"** **युवक, 25 वर्ष, जम्मू और कश्मीर**	युवाओं के लिए करियर सम्बन्धी परामर्श और मार्गदर्शन सुविधाएं न होना। निम्नलिखित तक पहुंच, उन के बारे में सूचना की लोगों तक पहुंच और संसाधनों का न होनाः – रोज़गार और उद्यमिता के लिए उपलब्ध अवसर – सबकुछ जान–समझ कर फ़ैसले लेने और चुन पाने के लिए सहायता समूह (मैण्टॅर) –प्रशिक्षण और विकास	पंचायत स्तर से लेकर ऊपर तक, ऐसे परामर्श और सूचना केन्द्र जो जानकारी, प्रशिक्षण और वित्तीय और गैर–वित्तीय संसाधनों तक पहुंच उपलब्ध करवाएं। वित्तीय संसाधनों तक सरलता से पहुंच उपलब्ध करवाना, खासतौर पर पहली बार अपनी ही गारण्टी पर कर्ज़ लेने में मदद करना कृषि–आधारित और परम्परागत ज्ञान–आधारित रोज़गार और उद्यमिता के अवसरों और इन के सफल नमूनों के बारे में जानकारी और इन से जुड़े कौशलों पर	केन्द्रों और उन्हें इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या का बढ़ना। स्थापित केन्द्रों, उन में मिलने वाली सेवाओं और सेवाएं प्राप्त करने वाले युवाओं की संख्या में बढ़ोतरी। कर्ज़ लेने वाले युवाओं की संख्या में बढ़ोतरी। अपने क्षेत्र में कामकाज से जुड़े और रोज़गार पाए युवाओं की संख्या (उत्प्रवास

संस्तुतियां	कमियां	रणनीतियां	संकेतक
	(जिस में उच्च शिक्षा भी शामिल है) के अवसर –कर्ज़ की सुविधा सहित वित्तीय संसाधन –सरकारी योजनाएं शहरी जीवनशैली की तुलना में कम महत्व और समर्थन मिलने के कारण युवाओं के खेती जैसी परम्परागत आजीविकाओं को छोड़ने पर मजबूर होने से बेरोज़गारी और उत्प्रवास का बढ़ना। युवाओं के लिए अच्छा मनुष्य और सक्रिय नागरिक बनने के लिए ज़रूरी मूल्य, नैतिकता और व्यवहार–कौशल विकसित कर पाने के अवसर तैयार करने के प्रयासों के बिना ही केवल पेशों से जुड़े कौशलों पर ध्यान बनाए रखने के कारण अवसरों की उपलब्धता और उन को पा सकने की युवाओं की योग्यता के बीच की खाई।	केन्द्रित व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम डिज़ाइन करना शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में सामाजिक बदलाव कार्यक्रमों और समूहों के साथ स्वयंसेवक के तौर पर काम करने के अवसरों के माध्यम से रोज़गार पा सकने की योग्यता के लिए ज़रूरी कौशल और मूल्य–आधारित नेतृत्व के लिए जीवन कौशल, उद्यमिता, आत्म–चेतना, सहयोग, फैसले लेना आदि का अभ्यास शामिल हों। सभी व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आत्म–चेतना, मूल्य–आधारित नेतृत्व, सम्प्रेषण, लोगों को प्रेरित और प्रभावित करने के कौशल, जान–समझकर फ़ैसले लेने, असफलता से पार पाने, सच्चे सम्बन्ध और सहायता प्रणालियां तैयार करने, तोल–मोल और विवाद के समाधान आदि के कौशल अनिवार्य रूप से शामिल हों। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले युवाओं के लिए सामाजिक–सुरक्षा का प्रावधान। व्यवसायों में रोज़गार पाने के अधिक अवसर, खासतौर पर स्कूल व्यवस्था से बाहर हो चुके किशोरों के लिए 'एक और अवसर'।	के प्रतिशत में कमी) 40 प्रतिशत युवा अपनी आजीविका अपने स्थापित उद्यम से पाते हैं, क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि का प्रतिशत कृषि–आधारित और परम्परागत ज्ञान–आधारित व्यवसायों और पेशों में लगे युवाओं की संख्या में बढ़ोतरी। रोज़गार छोड़ने की दर में कमी। सामाजिक–सुरक्षा पाने वाले युवाओं की संख्या में बढ़ोतरी।

संस्तुतियां	कमियां	रणनीतियां	संकेतक
2. युवाओं के साथ और उन के लिए, जवाबदेह और अनुक्रियाशील अभिशासन सुनिश्चित किया जाए ''हम योजना बनाने से लेकर मॉनिटरिंग तक – शुरू से आखिर तक पूरी प्रक्रिया से जुड़ना चाहते हैं।'' **राजस्थान के युवा परामर्श में बनी सहमति** ''युवाओं और वयस्कों के बीच एक बड़ी खाई है। युवाओं का जब समझ में आता है कि वह कहां पर बदलाव ला सकते हैं तो वह बदलाव लाना चाहते हैं। बदलाव लाने के यह अवसर हमारी गहरी भावनाओं, सपनों और भविष्य की आशाओं से जुड़े हैं.. .चुनाव लड़ने या देश का प्रधानमन्त्री बनने में उम्र हम युवाओं के लिए बाधा क्यों बनती है?'' **युवती, 20 वर्ष, चण्डीगढ़**	युवाओं के लिए नीति के स्तर पर फैसले ले पाने की प्रक्रिया में भाग ले पाने के लिए गुंजायश न होना। अभिशासन में युवाओं की आवाज़ न होना (नीति निर्माण से लेकर परिणाम–प्रदान और मॉनिटरिंग तक) आवश्यक सेवाओं तक पहुंच के लिए युवाओं के लिए प्रयोग में आसान, प्रभावी शिकायत निवारण व्यवस्था का न होना (न्याय की त्वरित और सही व्यवस्था)। प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेह अभिशासन व्यवस्था का न होना। योजनाओं के बारे में जागरूकता का न होना। सुरक्षा का न होना।	स्थानीय शासन निकायों से लेकर ऊपर के स्तर तक, निर्वाचित निकायों में युवाओं के लिए 25 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया जाना। युवा मन्त्रालय और खेल मन्त्रालय अलग–अलग हों। युवा निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए मैण्टरशिप कार्यक्रम। निर्वाचित प्रतिनिधि युवा प्रशिक्षुओं को भर्ती करें। केन्द्रीय युवा नीति का मसविदा बनाकर उसे लागू किया जाना। सभी नीतियों, कार्यक्रमों और विधेयकों में युवाओं के लिए अलग बजट सुनिश्चित करना। सूचना का सक्रियता से (स्वयं) खुलासा। स्थानीय समुदाय के युवाओं की सहभागिता और प्रतिनिधित्व द्वारा मॉनिटरिंग को नियमित किया जाना। कानूनों और नीतियों के बारे में जागरूकता तैयार करने और राय और सुझाव मांगने के लिए मीडिया और इण्टरनैट का इस्तेमाल कर के मंच तैयार करना। युवाओं के सरोकारों को सम्बोधित करने के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय युवा आयोग का सृजन। यू. एन. युवाओं को एक विशेष फ़ोकस समूह के तौर पर स्वीकार करे और एक युवा सलाहकार बोर्ड का गठन करे। युवाओं, खासतौर पर हाशिए पर पहुंच चुके वर्गों के युवाओं के लिए मुफ़्त कानूनी सहायता व्यवस्था की उपलब्धता और उस तक आसान पहुंच।	अभिशासन के जमीनी स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर आरक्षित सीटों का प्रतिशत और इन में विविधता के लिए जगह। सभी मॉनिटरिंग समितियों में युवाओं का प्रतिनिधित्व ऐसी अपीलों का प्रत्युत्तर देने वाले युवाओं की संख्या। युवाओं की आवाज़ को शामिल करने वाली नीतियों की बढ़ती संख्या। पंचायत या ज़िला स्तर और लोक अदालतों में निपटाए गए मामलों की संख्या। ऊंची अदालतों में लम्बित मुकदमों की संख्या में कमी। सूचना का अधिकार जैसे अधिनियमों और नीतियों का उपयोग करने वाले और सोशल ऑडिटों में भाग लेने वाले युवाओं की संख्या में बढ़ोतरी। अपने जीवनों को प्रभावित करने वाले कानूनों, योजनाओं और नीतियों के अभिकल्पन, कार्यान्वयन और मॉनिटरिंग में सक्रिय रूप से हिस्सा लेने वाले युवाओं की संख्या।

संस्तुतियां	कमियां	रणनीतियां	संकेतक
		ज़िले में सभी सरकारी योजनाओं का परिवीक्षण करने वाली ज़िला मॉनिटरिंग समिति में युवाओं को शामिल किया जाना। ग्राम सभाओं की तिमाही बैठकें जिन में युवाओं का प्रतिनिधित्व रहे।	
3. संघर्ष वाले और संकटप्रवण क्षेत्रों में युवाओं को शान्ति–स्थापना की प्रक्रिया में बराबरी का हिस्सेदार बनने के लिए सामर्थ्यसम्पन्न बनाया जाए, इस काम में जोड़ा जाए और उन के मानवाधिकारों को बनाए रखा जाए **"हम सब संघर्ष और संकटप्रवणता से दूर हों और शान्ति की स्थापना के लिए काम करें....." युवा, 20 वर्ष, उत्तर–पूर्व** **"हमारे लिए खेल और मनोरंजन के अवसर नहीं हैं....क्षेत्र के युवाओं पर लेबल लगा दिया गया है – आतंकवादी!" युवा, 21 वर्ष, उत्तर–पूर्व**	ऐसे मंचों का न होना जहां सरहदों के पार के और अलग–अलग पहचानों और सन्दर्भों वाले युवा लोग खुल कर अपने सरोकारों को साझा कर सकें और एकदूसरे की बात समझ पाएं। शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में विभिन्न दृष्टिकोणों का न होना। युवाओं में, जिन्हें शान्ति स्थापना की प्रक्रिया में एक साझेदार की भूमिका में होना चाहिए, निवेश न होना। आधारभूत मानवाधिकारों का न होना जिन में जीवन, सुरक्षा, खेलने आदि के अधिकार शामिल हैं। आधारभूत और आवश्यक सेवाओं तक पहुंच का न होना। जीविका, उद्यमिता, उच्च शिक्षा की सूचना और अवसरों तक पहुंच न होना और इन सूचनाओं के पहुंचने में समस्या।	'दूसरे' को समझने के लिए सरहदों के आर–पार संवाद के लिए सुरक्षित और गैर–फ़ैसलाकुन जगहें तैयार किया जाना; गहरे सम्बन्ध और शान्ति का वातावरण तैयार करने के लिए रचनात्मक अनुभवों की ज़रूरत होती है। शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में विभिन्न सन्दर्भों के सामाजिक–सांस्कृतिक दृष्टिकोण शामिल किए जाएं। युवाओं को शान्ति स्थापना कौशलों (मोल–तोल, मध्यस्थता, प्रश्नों का विश्लेषण) में प्रशिक्षित किया जाना सुनिश्चित करना। शान्ति स्थापना सम्बन्धी फ़ैसले लेने की प्रक्रिया में युवाओं का एक चौथाई प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना। सीमा–विवाद, हथियारों की अवैध आपूर्ति के राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों को तुरन्त सुलझाना, कानून और व्यवस्था को मजबूत करना ताकि छिटपुट विवाद सामुदायिक संघर्षों का रूप न ले पाएं, उग्रवाद हटाना। संकटप्रवण क्षेत्रों में युवाओं के विकास पर खासतौर पर प्रयास केन्द्रित करना।	स्कूलों में नामांकन में विभिन्न समुदायों के बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी। अलग–अलग पृष्ठभूमियों के लोगों के आपस में विवाह करने की दर में बढ़ोतरी। संघर्षों की संख्या में कमी। शान्ति स्थापना के लिए युवाओं की अगुवाई वाली पहलों की संख्या में बढ़ोतरी। उग्रवादी समूहों की संख्या में कमी और नए समूहों का गठन रोका जाना। खोले गए युवा केन्द्रों की संख्या और इन्हें इस्तेमाल करने वाले युवाओं की संख्या में बढ़ोतरी। मनवाधिकारों के उल्लंधन के मामलों की संख्या में कमी और उत्तर–पूर्व से सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (AFSPA) जैसे कानून वापस लेना।

संस्तुतियां	कमियां	रणनीतियां	संकेतक
4. स्कूलों में पढ़ रहे और स्कूलों से बाहर मौजूद किशोरों और युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए व्यापक, संगत और समावेशी शिक्षा तक सब की पहुंच सुनिश्चित की जाए ''सरकारी स्कूल बहुत दूर–दूर हैं और उन में अध्यापक भी नहीं होते।'' **युवती, 23 वर्ष, हिमाचल प्रदेश**	बच्चे के परिपूर्णात्मक विकास पर केन्द्रित ऐसी गुणवत्तापूर्ण (संगत और व्यावहारिक) शिक्षा तक पहुंच का न होना जो उन्हें खुद के, सम्बन्धों के और दुनिया के बारे में सब जान–समझकर फ़ैसले लेने के लायक बनाए। निम्नलिखित के बारे में सूचना तक पहुंच और साथ ही उन के लिए संसाधनों का न होना: –उच्च शिक्षा के लिए उपलब्ध अवसर – सब जान–समझकर फ़ैसले लेने के लिए सहायता–समूह –कर्ज़ की सुविधा सहित वित्तीय संसाधन –सरकारी योजनाएं पाठ्यक्रमों में स्थानीय और परम्परागत ज्ञान शामिल न होना। किशोर शिक्षा कार्यक्रम (AEP) को हल्का किया जाना और पांच राज्यों में उस पर प्रतिबन्ध। विकलांग युवाओं के लिए स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा में अवसरों और उस तक पहुंच का न होना।	समाज के सभी स्तरों के बच्चों–किशोरों तक पहुंच पाने के लिए हर स्कूल के 1 कि.मी. के दायरे में युवा केन्द्र की स्थापना जो: –मार्गदर्शन, परामर्श और सूचना उपलब्ध करवाएं –समुदाय के सभी युवाओं के लिए नियमित युवा (जीवन के लिए उपयोगी कौशलों और नेतृत्व कौशलों का विकास) विकास कार्यक्रम आयोजित करें –युवाओं को सब जान–समझकर फ़ैसले लेने और दुनिया के साथ वास्तविक सम्बद्धता वाले मानवाधिकारों को प्रोत्साहित करने के लिए सामर्थ्यसम्पन्न बनाएं –युवाओं के लिए अगुवाई करने के अवसर तैयार करें। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत सब को, उच्चतर माध्यमिक स्तर तक मुफ़्त और अनिवार्य, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाना; शिक्षकों की भर्ती और प्रदर्शन के मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया और व्यवस्था। पाठ्यचर्या के संशोधन और शिक्षक–प्रशिक्षण के माध्यम से जीवन के लिए उपयोगी कौशल (आत्म–चेतना, सीखने का योग्यता, दूसरों को प्रेरित और प्रभावित करना, मूल्य–आधारित नेतृत्व कौशल, विवाद का समाधान का कौशल आदि) सब को सिखाना। किशोर शिक्षा कार्यक्रम (AEP) पर प्रतिबन्ध को पलट कर, पाठ्यचर्या के संशोधन और शिक्षक–प्रशिक्षण के माध्यम से, व्यापक यौन शिक्षा तक किशोरों और युवाओं की पहुंच बनाना। छात्रों को विद्यालय प्रबन्धन समिति के सदस्य बनाया जाना।	केन्द्रों और उन तक पहुंचने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी। स्थापित केन्द्रों, उन में उपलब्ध सेवाओं की संख्या और उन्हें लेने वाले युवाओं की संख्या में बढ़ोतरी। समुदाय में नागरिक प्रश्नों से जुड़ने वाले युवाओं की संख्या में बढ़ोतरी। 70 प्रतिशत छात्र 60 प्रतिशत से ज़्यादा अंकों के साथ परीक्षा पास करें। अपने विचारों को व्यक्त करने में सक्षम युवाओं की संख्या में बढ़ोतरी। युवाओं के समुदाय के लिए पहलों को अधिभार देने वाली रोज़गार/उद्यमिता योजनाओं की संख्या में बढ़ोतरी।

संस्तुतियां	कमियां	रणनीतियां	संकेतक
	शिक्षा के व्यवसायीकरण और निजीकरण की समस्याएं। जीवन के लिए उपयोगी कौशलों की शिक्षा का न होना। वास्तविक संसार से सम्बद्धता का न होना। प्रभावी मॉनिटरिंग और पारदर्शिता का न होना।	स्कूलों के प्रभावी संचालन के लिए नियमित और आवश्यक मुआयने; स्कूलों और उच्च शिक्षा में शिक्षकों की भर्ती की कड़ी और पारदर्शी प्रक्रिया। सभी शिक्षकों के लिए सहभागितापूर्ण तरीकों का नियमित रिफ्रेशर प्रशिक्षण। घर से 10 कि.मी. के दायरे में गुणवत्तापूर्ण डिग्री कॉलेजों की स्थापना। हर तीन जिलों के लिए एक विश्वविद्यालय की स्थापना। विशेष आवश्यकताओं वाले लोगों के लिए सुविधाएं और संसाधन तैयार करना।	
5. व्यापक, युवाओं के लिए उपयोगी और उन्हें समझ में आनेवाली सूचना, सेवाओं और सभी युवाओं के सर्वांगीण स्वास्थ्य, स्वस्ति और अधिकार सुनिश्चित करने वाले सहायता समूहों तक पहुंच "अगर हम किसी परिवार नियोजन केन्द्र में जा कर गर्भ या गर्भपात या गर्भधारण से सुरक्षित रहने के बारे में जानकारी पाना चाहें तो सबसे पहले तो वे यह पूछेंगे कि क्या हमारे मां–बाप जानते हैं कि हम ऐसी जानकारी चाह रहे हैं।" **युवती, 19 वर्ष, नई दिल्ली**	सुरक्षित यौन आचरण जैसे प्रश्नों पर सही जानकारी तक पहुंच जानकारी लेने की सूचना के गोपनीय बने रहने की गारण्टी का न होना। सूचनासम्पन्न और जानकार सहायता समूह का न होना। गुणवत्तापूर्ण, वहनीय, गोपनीय और युवाओं के लिए सहज स्वास्थ्य परिचर्या तक पहुंच का न होना। किशोरों और युवाओं के लिए रोकथाम करने वाले और उपचारात्मक, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य कार्यक्रमों का न होना।	स्कूलों में पढ़ रहे और स्कूल न जा रहे युवाओं के यौन और प्रजनन स्वास्थ्य में निवेश और उसे सुरक्षित बनाना (खासतौर पर अविवाहित युवाओं, विकलांग युवाओं और यौनकर्मियों के लिए)। रिश्तों पर बातचीत करने की क्षमता तैयार करने, सब कुछ जान समझ कर विकल्प चुनने, जैण्डर–आधारित हिंसा कम करने और युवाओं के लिए सुगम स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने के उददेश्य से, जीवन कौशलों के एकीकरण द्वारा व्यापक यौनिकता सहकर्मी शिक्षा कार्यक्रमों को विस्तार देना और मजबूत बनाना। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (PHCs) में युवाओं के लिए सहज और गोपनीय परामर्श सेवाएं। स्कूलों में तनाव के लिए परामर्श उपलब्ध और सदमे के लिए रेफ़रल परामर्श तक पहुंच। प्राणघातक रोगों की दवाओं पर पेटेण्ट नहीं।	केन्द्रों और उन तक पहुंचने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी। स्थापित केन्द्रों, उन में उपलब्ध सेवाओं की संख्या और उन्हें लेने वाले युवाओं की संख्या में बढ़ोतरी।

संस्तुतियां	कमियां	रणनीतियां	संकेतक
6. जैण्डर (तीसरे लिंग सहित), जाति, वर्ग, धर्म और विकलांगता पर आधारित कलंक की भावना, हिंसा, भेदभाव और असमानताओं का खात्मा "मैं अपने यहां की शासन व्यवस्था के कामकाज के तरीके और समाज में फैली असमानता को वृद्धि और विकास की राह में बाधाओं के रूप में देखता हूं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो चाहे हम 2015–के–बाद के संसार के लिए योजना बनाएं या 2050–के–बाद के संसार के लिए, स्थितियां जैसी हैं, वैसी ही बनी रहेंगी।" **–मेघवन्न, रैस्टलैस डेवलपमैण्ट इण्डिया**	अधिकारों और योजनाओं के बारे में जानकारी न होना। जानकार, जैण्डर को लेकर संवेदनशील और जाति, धर्म और विकलांगता की सीमाओं और रूढ़छवियों के परे जा कर देख–समझ पाने में समर्थ सहायता समूहों का न होना। तीसरे लिंग की स्वीकृति न होना।	योजनाओं, प्रोत्साहनों और उपलब्ध वित्तीय सहायता के बारे में सूचना का प्रचार। हितधारकों की जानकारी बढ़ाने और उन्हें संवेदनशील बनाने के लिए खुली कार्यशालाओं का आयोजन। आवेदनों, फ़ार्मों और पहचान–पत्रों में तीसरे लिंग को एक श्रेणी के रूप में स्वीकार्यता। परम्परागत सोच को चुनौती दे कर और इस प्रक्रिया में लड़कों और पुरूषों को जोड़कर, फ़ैसले लेने में लड़कियों को बराबर का हिस्सेदार बनाकर 'तीसरे लिंग' सहित जैण्डर–अल्पसंख्यकों के विरूद्ध हिंसा को रोकना।	छेड़छाड़ और परेशान करने के मामलों में कमी। स्त्रियों के विरूद्ध हिंसा के मामलों में कमी।
7. कृषि, उत्पादन और निर्माण में देशी पर्यावरण–सहज प्रचलनों पर शोध करके, उन्हें प्रोत्साहन और सुरक्षा देकर पर्यावरण के स्तर पर धारणीय प्रचलनों को प्रोत्साहन और उन का कार्यान्वयन "हर व्यक्ति को पूरे जीवन पानी पाने और अपनी आजीविका का अधिकार होना	पर्यावरण सुरक्षा कानूनों और नियमों का गलत ढंग से कार्यान्वयन और प्रवर्तन। प्राकृतिक संसाधनों पर समुदाय के स्वामित्व और अधिकार पर ध्यान नहीं दिया जाना। उत्पादों, सेवाओं और व्यवसायों के जीवनक्षम विकल्प न होने के कारण पर्यावरणीय ह्रास। जहां विकल्प हैं भी वहां इन विकल्पों के	पर्यावरण क्लबों जैसी स्थानीय और सामुदायिक पहलें। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों पर शोध को प्रोत्साहन। सही शहरी और ग्रामीण नियोजन और रिक्त होते प्राकृतिक संसाधनों को फिर से स्थापित करने की नीतियां अपना कर पर्यावरण धारणीयता के लिए नियोजन। इन परियोजनों के कार्यान्वयन को मॉनिटर करने के लिए युवाओं की समितियां गठित करना।	प्राकृतिक औषधियों और उत्पादों के ज्ञान के संरक्षण के लिए केन्द्रों की संख्या में 60 प्रतिशत बढ़ोतरी। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों जैसे बायोगैस और सौर ऊर्जा के उपयोग में 40 प्रतिशत बढ़ोतरी। वनभूमि में बढ़ोतरी। इको क्लबों की संख्या में बढ़ोतरी।

संस्तुतियां	कमियां	रणनीतियां	संकेतक
चाहिए। मैं नदी के किनारे पला–बढ़ा हूं और अब मुझे नदी से पानी खरीदना पड़ता है! जब हमारी ज़रूरतें पूरी तक नहीं हो पा रहीं तब पानी पाइपों के ज़रिए दूसरे राज्यों को क्यों बेचा जा रहा है?'' **प्रवाह ओडिशा**	बारे में जागरूकता और प्रोत्साहन नहीं है। पर्यावरणीय ह्रास को कम कम करने के लिए विकल्प उपलब्ध करवा पाने वाले परम्परागत ज्ञान और आचरणों का उपयोग न होना। शिक्षा व्यवस्था खेती, मुर्गीपालन, कुम्हारी जैसे पर्यावरण से सीधा संवाद रखनेवाले ज्ञान और व्यवसायों को प्रोत्साहित नहीं करती।	विकास के नाम पर विस्थापन नहीं। युवा समितियों को जंगल की मॉनिटरिंग और सुरक्षा के साथ ही जंगल से जुड़े कानूनों के विभिन्न प्रावधानों के बारे में जनजागरूकता फैलाने की जिम्मेदारी दिया जाना। स्कूलों और कॉलेजों में पर्यावरण क्लबों की सीपना। पाठ्यक्रम में उन देशी व्यवसायों के बारे में जानकारी को शामिल करना जिन में पर्यावरण से संसाधन पाना और पर्यावरण का संरक्षण शामिल है।	

''इस समूह का हिस्सा बन कर मैं सामर्थ्यसम्पन्न महसूस कर रही हूं, अब मेरी ज़िम्मेदारी बनती है कि जो भी यहां देख–सुन रही हूं उसे अपने यहां ले जाऊं। हम जो विकास देखना चाहते हैं उस की प्रक्रिया में हम सभी को हिस्सा लेना होगा।'' **युवती, 18 वर्ष, उत्तर–पूर्व**

अतिरिक्त परिवीक्षण

गैर–सरकारी संगठन मौजूदा विषयों से आगे गए और उन्होंने पाया कि जैण्डर, सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य, शान्ति और असमानता वे संगत विषय हैं जिन्हें विकास ढांचे में जोड़ा जाना चाहिए। जैण्डर और सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों को अलग–अलग विषयों के रूप में लिया गया जबकि शान्ति और असमानता को क्रमशः संघर्ष और संकटप्रवणता और जनसंख्या सम्बन्धी प्रश्नों में शामिल किया गया।

मौजूदा विषय	उभरते विषय
शिक्षा	व्यापक और समावेशी शिक्षा
वृद्धि और रोज़गार	वृद्धि, आजीविका और उद्यमिता
अभिशासन	जवाबदेह और जिम्मेदार अभिशासन
खाद्य सुरक्षा	खाद्य सुरक्षा और पोषण
पर्यावरणीय धारणीयता	पर्यावरणीय धारणीयता
संघर्ष और संकटप्रवणता	संघर्ष और संकटप्रवणता वाले क्षेत्रों में शान्ति
स्वास्थ्य	सर्वांगीण स्वास्थ्य और स्वस्ति
	जैण्डर
	असमानता
	समर्थ बनाने वाला वातावरण
	युवाओं की प्रतिभागिता और नेतृत्व

ऐसे ही प्रतिभागियों ने हर उस विषय के अन्तर्गत आने वाले मौजूदा निकषों, क्षेत्रों और पैमानों को भी विस्तार दे दिया जिस के लिए गैर–सरकारी संगठनों को प्रश्न, सरोकार और संस्तुतियों की पहचान करनी थी। सूचना–शिक्षा–सम्प्रेषण, मीडिया, नीति, शोध, प्रशिक्षण, विकास और विशिष्ट संकेतकों की पहचान करने को गैर–सरकारी संगठनों ने शामिल किए जाने के लिए महत्वपूर्ण माना।

मौजूदा निकष/क्षेत्र/पैमाने	उभरते निकष/क्षेत्र/पैमाने
बजट बनाना	सूचना शिक्षा सम्प्रेषण/मीडिया
पारदर्शिता, जवाबदेही और मॉनिटरिंग	नीति
आधारभूत संरचना (भौतिक और सामाजिक)	शोध, प्रशिक्षण और विकास
भेदभाव और हिंसा की समस्याओं का समाधान	संकेतक
विशेष फ़ोकस समूह	

परामर्श दस्तावेज

रैस्टलैस डेवलपमैण्ट टूलकिट के लिए वैब लिंक: http//bit.ly/10BsQp4

टूलकिट का इस्तेमाल सभी भागीदारों ने सन्दर्भ के रूप में किया। हर भागीदार ने अपने सन्दर्भ के अनुरूप नए डिज़ाइन अनुकूलित और तैयार किए।

- रैस्टलैस डेवलपमैण्ट थॉट क्लाउड के लिए वैब लिंक: http//bit.ly/Yzlmnd
- रैस्टलैस डेवलपमैण्ट चार्ट्स के लिए वैब लिंक: http//bit.ly/XvnQy4
- रैस्टलैस डेवलपमैण्ट वीडियो क्लिप्स के लिए वैब लिंक: http//bit.ly/13WCJUr
- रैस्टलैस डेवलपमैण्ट म्यूरल के लिए वैब लिंक: http//bit.ly/Z5PlRf

प्रवाह

प्रवाह के फ़ैसिलिटेटरों द्वारा इस्तेमाल की गई कुछ प्रक्रियाओं को देखने के लिए निम्नलिखित लिंकों पर क्लिक करें:

- विज़निंग तकनीक का इस्तेमाल करते हुए टाइम लाइन गतिविधि: http://bit.ly/ZbVZVt
- मैपिंग द वर्ल्ड वी वाण्ट: http://bit.ly/14lKc8l

परामर्शों के लिए प्रवाह द्वारा इस्तेमाल किए गए डिज़ाइन को देखने के लिए निम्नलिखित लिंकों पर क्लिक करें:

https://dl.dropbox.com/u/53079022/Consultation%20Design%20Jorhat.docx
https://dl.dropbox.com/u/53079022/Design%20Puri%20consultation.docx

द वाइपी फ़ाउण्डेशन की सत्र योजना देखने के लिए निम्नलिखित लिंक पर क्लिक करें:

https://www.dropbox.com/s/9am1qcftje8klpx/Session%20Format%20-%20TYPF.doc?n=146402559

युवा क्षेत्र क्षेत्रीय रिपोर्टें देखने के लिए निम्नलिखित लिंक पर क्लिक करें:

http://www.worldwewant2015.org/node/317995

प्रतिभागियों की टिप्पणियां

- ''सन् 2000 में हमारे गांव में किसी के पास न मोबाइल फ़ोन थे, न कम्प्यूटर। जीवन बहुत अलग था। आज हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन है, हम सभी ने कम्प्यूटर देखे हैं, लेकिन जो समस्याएं सन् 2000 में थीं, वे सभी अब भी बरकरार हैं।'' **राजकुमार, रैस्टलैस डेवलपमैण्ट इण्डिया**

- ''मैं अपने यहां की शासन व्यवस्था के कामकाज के तरीके और समाज में फैली असमानता को वृद्धि और विकास की राह में बाधाओं के रूप में देखता हूं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो चाहे हम 2015–के–बाद के संसार के लिए योजना बनाएं या 2050–के–बाद के संसार के लिए, स्थितियां जैसी हैं, वैसी ही बनी रहेंगी।'' **मेघवन्न, रैस्टलैस डेवलपमैण्ट इण्डिया**

- ''हम जितनी भी कोशिशें करके योजनाएं बना लें, जब तक प्रश्नों को सम्बोधित नहीं किया जाता, हम वहीं के वहीं रहेंगे।'' **रज़िया, रैस्टलैस डेवलपमैण्ट इण्डिया**

- ''हर व्यक्ति को पूरे जीवन पानी पाने और अपनी आजीविका का अधिकार होना चाहिए। मैं नदी के किनारे पला–बढ़ा हूं और अब मुझे नदी से पानी खरीदना पड़ता है! जब हमारी ज़रूरतें पूरी तक नहीं हो पा रहीं तब पानी पाइपों के ज़रिए दूसरे राज्यों को क्यों बेचा जा रहा है?'' **प्रवाह ओडिशा**

- ''अगर चूल्हा जलाने की लकड़ी पाने के लिए मेरे जंगलों में पेड़ काटना जुर्म है तो क्या सरकार मुझे ईंधन के लिए गैस देगी?'' **प्रवाह ओडिशा**

- ''इस बैठक में मैंने बहुत कुछ सीखा है–दूसरे लोगों से व्यवहार करना, अपनी राय बताना और विकास कैसे हो इस के बारे में विचार करना.....'' **पद्मिनी खिल्लेल, आयु 18 वर्ष, प्रवाह ओडिशा**

- ''हमें सरकार के विकास लाने का इन्तज़ार नहीं करना चाहिए....बदलाव की शुरूआत हमारे अन्दर से होनी चाहिए।'' **बीथिका मुस्तफ़ा, आयु 20 वर्ष, प्रवाह ओडिशा**

- ''करने के लिए कामकाज नहीं है, इसलिए बहुत से युवा नशीले पदार्थों और उग्रवादियों से जुड़ी सत्ता की ओर आकर्षित होते हैं.....'' **एन. र्यूबेन थान्गिलियानलाल, आयु 22 वर्ष, प्रवाह मणिपुर**

- ''हम सहभागी, सक्रिय श्रोता, समाज के उत्पादक और सहयोगी सदस्य होना चाहते हैं।'' **एडलिना केरकेट्टा, आयु 23 वर्ष, प्रवाह असम**

- ''मुझे बुरा लगता है और मैं खुद से पूछती हूं कि मेरे दोस्त और दूसरे लोग स्कूल क्यों नहीं जाते।'' **प्रवाह असम**

- ''स्वास्थ्य सुविधाएं हैं ही नहीं। हम मेडिकल चैक–अप के लिए गए तो खून की जांच के लिए इन्तज़ाम नहीं था।'' **प्रवाह उत्तर–पूर्व**

- ''हमारे लिए खेल और मनोरंजन के अवसर नहीं हैं....क्षेत्र के युवाओं पर लेबल लगा दिया गया है – आतंकवादी!'' **प्रवाह उत्तर–पूर्व**

- ''मुझे पता नहीं था कि मेरी आवाज़ मेरे समुदाय, क्षेत्र, राज्य और देश में सुनी जा सकती है! मुझे गर्व है कि मैं इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया का हिस्सा हूं....'' **बिनोन्दो पेगू, आयु 22 वर्ष, प्रवाह असम**

- ''मेरे क्षेत्र के कुल 40 लोग इस बड़े काम के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे...यह परामर्श और पहले क्यों नहीं शुरू किया गया?'' **प्रवाह उत्तर–पूर्व**

- ''इस समूह का हिस्सा बन कर मैं सामर्थ्यसम्पन्न महसूस कर रही हूं, अब मेरी ज़िम्मेदारी बनती है कि जो भी यहां देख–सुन रही हूं उसे अपने यहां ले जाऊं। हम जो विकास देखना चाहते हैं उस की प्रक्रिया में हम सभी को हिस्सा लेना होगा।'' **प्रवाह उत्तर–पूर्व**

- ''हम सब संघर्ष और संकटप्रवणता से दूर हों और शान्ति की स्थापना के लिए काम करें.....'' **प्रवाह उत्तर–पूर्व**

- ''तेल कुंओं की खुदाई के बाद उन जगहों को यूं ही छोड़ दिया गया – प्रकृति के लिए सम्मान की भावना है ही नहीं – हम सन्तुलन वापस क्यों नहीं

ला सकते? यही हाल ईंट भट्टों का है.....'' **प्रवाह उत्तर–पूर्व**

- ''हर समूह अपनी बात पर जोर दे रहा है – कोई भी एक स्वर में बोलने का प्रयास नहीं कर रहा – खेलने, मिलबैठ कर संवाद के अवसर नहीं हैं....इस वजह से युवा उग्रवाद की ओर जा रहे हैं।'' **प्रवाह उत्तर–पूर्व**

- ''अपने समुदाय को मज़बूत बनाने के लिए यह ज़रूरी है कि हम एक–दूसरे के विचारों का सम्मान करें।'' **युवक, 22 वर्ष, उत्तर प्रदेश, द वाइपी फ़ाउण्डेशन**

- ''युवाओं और वयस्कों के बीच एक बड़ी खाई है। युवाओं का जब समझ में आता है कि वह कहां पर बदलाव ला सकते हैं तो वह बदलाव लाना चाहते हैं। बदलाव लाने के यह अवसर हमारी गहरी भावनाओं, सपनों और भविष्य की आशाओं से जुड़े हैं...चुनाव लड़ने या देश का प्रधानमन्त्री बनने में उम्र हम युवाओं के लिए बाधा क्यों बनती है?'' **युवती, 20 वर्ष, चण्डीगढ़, द वाइपी फ़ाउण्डेशन**

- ''युवाओं और नीति–निर्माताओं के बीच बहुत बड़ा अन्तर है। सरकार के लिए युवाओं तक पहुंचना आसान है लेकिन युवाओं के लिए सरकार तक पहुंच पाना एक समस्या है।'' **समूह चर्चा, द वाइपी फ़ाउण्डेशन**

- ''मैं चाहती हूं कि स्कूली–शिक्षक पूर्वाग्रह से मुक्त हों और सभी को शिक्षा दें। मैं यह भी चाहती हूं कि विकलांग युवाओं को भी समान अधिकारों और अवसरों का लाभ मिले।'' **युवती, 19 वर्ष, नई दिल्ली, द वाइपी फ़ाउण्डेशन**

- ''मैं मानती हूं कि अच्छी शिक्षा से से युवाओं की क्षमताएं तैयार होने में मदद मिलेगी।'' **युवती, 19 वर्ष, उत्तराखण्ड, द वाइपी फ़ाउण्डेशन**

- ''ग्रामीण क्षेत्रों के बहुत से माता–पिता अपने बच्चों, खासतौर पर लड़कियों को स्कूल जाने से रोक कर उन्हें जबर्दस्ती खेती के काम में जुटा देते हैं। लड़कियों के मुकाबले लड़कों को चाहा और पसन्द किया जाता है।'' **युवक, उत्तर प्रदेश, द वाइपी फ़ाउण्डेशन**

- ''सरकारी स्कूल बहुत दूर–दूर हैं और उन में अध्यापक भी नहीं होते।'' **युवती, 23 वर्ष, हिमाचल प्रदेश, द वाइपी फ़ाउण्डेशन**

- ''अचानक कुछ हो जाए तो इलाज के लिए बहुत लम्बा सफ़र करना होता है। गर्भवती स्त्रियों की हालत बिगड़े तो ऑपरेशन थियेटर नहीं है...सफ़र भी आसान नहीं है क्योंकि यातायात व्यवस्था और सड़कों का रखरखाव ठीक नहीं है।'' **द वाइपी फ़ाउण्डेशन**

- ''ग्रामीण अस्पतालों में अक्सर चार–पांच मरीज़ों को ही रख पाने लायक सुविधा होती है, एम्बुलैन्स को पहुंचने में तीन–चार घण्टे लगते हैं, फ़ायर ब्रिगेड है ही नहीं और पुलिस अक्सर युवा लोगों की शिकायतों को गम्भीरता से नहीं लेती।'' **युवक, 24 वर्ष, हिमाचल प्रदेश, द वाइपी फ़ाउण्डेशन**

- ''लड़कियों और ट्रान्सजैण्डर लोगों के लिए, इस्तेमाल किए जाने लायक सार्वजनिक शौचालय उपलब्ध करवाना बहुत महत्वपूर्ण है।'' **समूह चर्चा में उभरा मुद्दा, द वाइपी फ़ाउण्डेशन**

- ''पैन कार्ड या ड्राइविंग लायसेन्स जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज बनवाने के लिए पास के शहर तक जाना पड़ता है। सब से पास के शहर तक पहुंचने के लिए कई बार तीन से चार घण्टे सफ़र करना होता है।'' **युवक, 22 वर्ष, उत्तराखण्ड, द वाइपी फ़ाउण्डेशन**

- ''अगर हम किसी परिवार नियोजन केन्द्र में जा कर गर्भ या गर्भपात या गर्भधारण से सुरक्षित रहने के बारे में जानकारी पाना चाहें तो सबसे पहले तो वे यह पूछेंगे कि क्या हमारे मां–बाप जानते हैं कि हम ऐसी जानकारी चाह रहे हैं।'' **युवती, 19 वर्ष, नई दिल्ली, द वाइपी फ़ाउण्डेशन**

- ''हर गांव में आशा कार्यकर्ता हैं लेकिन वे सिर्फ़ विवाहित स्त्रियों को जानकारियां देती हैं। युवा लड़कियों को जानकारी पानी हो तो उन्हें सिर्फ़ अपनी बहनों या सहेलियों पर निर्भर रहना पड़ता है।'' **युवती, 22 वर्ष, उत्तर प्रदेश, द वाइपी फ़ाउण्डेशन**

- ''हमारे देश में कानून का डर नहीं है और इसीलिए इतने अपराध होते हैं। दूसरे देशों में बेहतर कानून हैं और नागरिक उन का पालन करते हैं।'' **युवक, 28 वर्ष, पंजाब, द वाइपी फ़ाउण्डेशन**

- ''पुलिस बेवजह मुख्यधारा में शामिल न किए गए समुदायों के युवाओं को निशाना बनाती है।'' **युवक, 21 वर्ष, उत्तर प्रदेश, द वाइपी फ़ाउण्डेशन**

- ''अगर मैं पुलिस चौकी जाऊं तो सम्भावना यह है कि सब से पहले तो वे मुझे ही दोषी ठहराएंगे। इसलिए हम पुलिस के पास बस तभी जाते हैं जब कोई और चारा नहीं रह जाता। अब हाल ही की बात देखें – मैं अपने फ़ोन की चोरी की शिकायत दर्ज़ करवाने गया था, पुलिसवालों ने कहा कि चोरी मेरी लापरवाही की वजह से हुई है और मैं सावधान रहा करूं।'' **युवक, 20 वर्ष, उत्तर प्रदेश, द वाइपी फ़ाउण्डेशन**

- ''मैं प्रशिक्षित अध्यापक हूं लेकिन नौकरियां उपलब्ध नहीं हैं। भ्रष्टाचार के चलते कम योग्य लोग नौकरी कर रहे हैं।'' **युवक, 25 वर्ष, जम्मू और कश्मीर, द वाइपी फ़ाउण्डेशन**

- ''हमारे गांवों में काम कर रहे गैर–सरकारी संगठन ही सूचना उपलब्ध करवाने वाली एकमात्र एजेन्सी होते हैं। इण्टरनैट उपलब्ध होते हुए भी हम उस का इस्तेमाल नहीं कर पाते क्योंकि बिजली ही नहीं होती।'' **युवती, 18 वर्ष, उत्तर प्रदेश, द वाइपी फ़ाउण्डेशन**

- ''युवा लोग मादक पदार्थों के आदी हो कर अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। मैं समाज को मादक पदार्थों से मुक्त बनाने के लिए काम करना चाहता हूं ताकि कोई भी नौजवान मादक पदार्थों की आदत का शिकार न हो।'' **युवक, 23 वर्ष, उत्तराखण्ड, द वाइपी फ़ाउण्डेशन**

- ''बहुत बार बाज़ार में मिल रहे अनाज और सब्ज़ियां कीड़े लगी या गली हुई होती हैं। इसलिए बाज़ार में तरह–तरह की सब्ज़ियां होने के बावजूद हम लोग उन्हें खरीदते नहीं। हम अपने यहां पैदा होनेवाली फसलें और सब्ज़ियां ही खाते हैं क्योंकि वह ताज़े और स्वादिष्ट होते हैं।'' **युवक, 20 वर्ष, उत्तराखण्ड, द वाइपी फ़ाउण्डेशन**

- ''मेरे गांव से सब से नज़दीक का स्कूल 20 किलोमीटर दूर है इसलिए मेरे गांव के बच्चों के लिए स्कूल तक पहुंच पाना कठिन होता है। इस के अलावा, स्कूलों में जितने छात्र समा सकते हैं, स्कूल में दाखिला चाहने वाले बच्चों की संख्या उस से कहीं ज़्यादा है।'' **युवक, 24 वर्ष, उत्तराखण्ड, द वाइपी फ़ाउण्डेशन**

- युवाओं को ऐसा कोई मंच नहीं मिल पाता जिस पर उन की आवाज़ सुनी जाए।'' **सर्वसहमति, उत्तर प्रदेश, द वाइपी फ़ाउण्डेशन**

- ''जम्मू और कश्मीर में युवा बाकी भारत से कटे हुए हैं। हम में से कुछ को ही बाहर आने और बाकी भारत के लोगों से मिलने का मौका मिल पाता है। जिन्हें यह मौका मिलता है वे सामर्थ्यसम्पन्नता का अनुभव करते हैं, लेकिन ज़्यादातर युवाओं को यह विकल्प पहीं मिलता। हम सामान्य और नियमित संवाद के लिए तरसते हैं, लेकिन सरकार हमें हमेशा अलग–थलग रखती है और हम से अलग बर्ताव किया जाता है। हम खुद को बाकी लोगों से कटा हुआ महसूस करते हैं और इन हालात से बेचैन हैं।'' **युवक, 22 वर्ष, कश्मीर, द वाइपी फ़ाउण्डेशन**

- ''जब हम किसी सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि शाम को मेरे प्राइवेट क्लिनिक पर आओ क्योंकि कुछ और टैस्ट करने होंगे। प्राइवेट क्लिनिक में हमें चैक–अप और इलाज के लिए पैसे देने पड़ते हैं। दवाएं भी बाहर से ही खरीदनी होती हैं।'' **युवती, 20 वर्ष, दिल्ली, द वाइपी फ़ाउण्डेशन**

UNITED NATIONS
संयुक्त राष्ट्र

यूनाइटेड नेशन्स रेज़िडेण्ट कोऑर्डिनेटर्स ऑफ़िस
55, लोदी एस्टेट
नई दिल्ली – 110003
भारत
टेलिफ़ोनः 91–11–46532333
फ़ैक्सः 91–11–24627612
ईमेलः unrco@one.un.org
वैबसाइटः http://in.one.un.org